The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY भाग 11—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) पाधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

स. 2533] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 30, 2015/अग्रहायण 9, 1937 No. 2533] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 30, 2015/AGRAHAYANA 9, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आधिक आसूचना ब्यूरो)

आदेश

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2015

का.आ. 3214(अ) .— विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974(1974 का 52) की धारा 3 को उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 12 मई, 2010 को जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1058 (अ) का अधिक्रमण करते हुए ' केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के संयुक्त सचिव (सीमा शुल्क) श्री एल. सत्य श्रीनिवास को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से अधिकार प्रदान करती है ।

[फा. सं. 671/18/2001-कस्टम VIII]

REGD NO D L.-33

एम. एल. शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)

New Delhi, the 24th November, 2015

ORDER

S.O. 3214(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), and in supersession of the Notification dated 12th May, 2010 issued vide S.O. No.1058(E) the Central Government hereby specially empowers Shri L. Satya Srinivas, Joint Secretary (Customs) to the Government of India, for the purpose of the said Section.

M. L. SHARMA, Under Secy. [F. No. 671/18/2001-Cus.-VIII]

4971 GL2015

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.